## jsy lEifRr dh pksjh ds ekeyksa dk iathdj.k fooj.k ekg vDVwcj&2014

| माह | मामले | | संपत्ति की कीमत रू. में | | गिरफ्तार | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | दर्ज | हल | चोरी गई | बरामद | बाहरी व्यक्ति | रेलकर्मी | आरपीएफ |
| vDVwcj&2014 | 20 | 19 | 22480 | 20980 | 28 | 00 | 01 |

## cqd'kkWi lEifRr dh pksjh ds ekeyksa dk iathdj.k fooj.k ekg vDVwcj 2014

| माह | मामले | | संपत्ति की कीमत रू. में | | गिरफ्तार | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | दर्ज | हल | चोरी गई | बरामद | बाहरी व्यक्ति | रेलकर्मी | आरपीएफ |
| vDVwcj&2014 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |

## jsy lkexzh dh pksjh ds ekeyksa dk iathdj.k fooj.k ekg vDVwcj&2014

| माह | मामले | | संपत्ति की कीमत रू. में | | गिरफ्तार | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | दर्ज | हल | चोरी गई | बरामद | बाहरी व्यक्ति | रेलकर्मी | आरपीएफ |
| vDVwcj&2014 | 20 | 19 | 22480 | 20980 | 28 | 00 | 01 |

# jsy vf/kfu;e ds rgr ekg vDVwcj&2014 esa dh xbZ dk;Zokgh dk fooj.k %&

| /kkjk | iathd`r ekeys | tqekZuk :- esa |
|---|---|---|
| 137 | 3503 | 1675487 |
| 138 | 12912 | 5614951 |
| 139 | 0 | 0 |
| 141 | 300 | 97285 |
| 142 | 0 | 0 |
| 143 | 2 | 0 |
| 144 | 1044 | 170080 |
| 145 | 809 | 40700 |
| 146 | 12 | 7120 |
| 147 | 425 | 53000 |
| 153 | 0 | 0 |
| 154 | 16 | 51200 |
| 155 | 879 | 24800 |
| 156 | 191 | 12200 |
| 157 | 0 | 0 |
| 159 | 487 | 22450 |
| 160 | 9 | 0 |
| 161 | 0 | 0 |
| 162 | 936 | 5400 |
| 163 | 0 | 0 |
| 164 | 0 | 0 |
| 165 | 0 | 0 |
| 166 | 0 | 0 |
| 167 | 114 | 4700 |
| 172 | 1 | 0 |
| 173 | 0 | 0 |
| 174 | 15 | 13100 |
| 175 | 0 | 0 |
| 176 | 0 | 0 |
| 180–जी | 0 | 0 |
| dqy ;ksx | 21,655 | 77,92,473 |

# j-l-c-@iej }kjk ekg dh nkjku fd;s x;s vU; vPNs dk;ksa dk C;kSjk %

01. दिनांक 22.07.14 को सहायक उपनिरीक्षक मनोहर सिहं द्वारा स्टेशन पर गस्त के दौरान गाडियो की चैकिंग दौरान गाडी संख्या 22455 के कोच नंबर एनआर 13893 से 10 सागौन के गुल्ले पाये गये थे। लावारिस दशा मे मिलने के कारण उपरोक्त सागौन के 10 गुल्ले सहायक उप निरीक्षक द्वारा जप्त कर रेल सुरक्षा बल पोस्ट भोपाल पर रखा गया था। दिनांक 16.10.14 को वन विभाग से श्री पन्नालाल अहिरवार उपवन क्षेत्रपाल उडन दस्ता भोपाल के रेसुबल पोस्ट भोपाल उपस्थित होने पर जप्तशुदा 10 नग सागौन के गुल्ले सुपुर्दनामा के तहत उन्हे सौपा गया।

02. दिनांक 25.09.2014 से 08.10.2014 तक मैहर स्टेशन पर मां शारदा चैत्र नवरात्रि मेला का आयोजन किया गया। जिसमें रेल सुरक्षा बल की तैनाती कर मेला का सुचारु संचालन किया गया। मेला अवधि के दौरान रेसुब/जीआरपी स्टाफ उ0नि0 कमल सिंह, सउनि एस के त्रिपाठी, प्रआ एल.एन. मिश्रा, आर. मोहन लाल द्विवेदी, म/आर. शशि रैकवार एवं जीआरपी के आरक्षक प्रशिक्षु रामपाल सिंह द्वारा 15 अबोध बालक/बालिकाओं एवं 01 अतिवृद्ध महिला को लावारिस हालत में पाये गये। उपरोक्त सभी बच्चों एवं वृद्ध महिला को हर संभव मदद कर उनके परिजनों को सुपुर्द किया गया।

03. दिनॉक 01.10.14 को दौराने गस्त समय लगभग 12.00 बजे रेल्वे यार्ड जबलपुर पुरानी टंकी के पास उपनिरीक्षक श्री शिशिर कुमार हमराह स्टाफ प्रआ. राजेश सिंह, आरक्षक नौशाद अहमद को एक 05 वर्षीय बालक नाम राजसिंह लावारिस स्थिति मे धुमते पाया गया, बालक द्वारा पहनी हुई स्कूल ड्रेस के आधार पर रेल्वे स्कूल तलैया बिल्डिंग, जबलपुर जाकर हॉस्टल के चौकीदार से बालक के निवास की जानकारी लेकर मण्डल रेल प्रबंधक कार्यालय जबलपुर के पास ले जाकर बालक के पिता अजय सिंह को समक्ष पंचो के सुपुर्द किया गया।

04. दिनांक 05.10.2014 को गाडी सं0 12904 की सुरक्षा पार्टी द्वारा एक लावारिस सेमसंग गैलेक्सी मोबाईल आर0 अमर सिंह को सुपुर्द किया गया। उक्त मोबाईल मालिक दीपक से उसी मोबाईल पर बात की गई जो अम्रतसर से निजामुददीन की यात्रा कर रहे थे। वे निजामुददीन स्टेशन पर उतर गये तथा उनका मोबाईल गाडी में ही गिर गया था। उनके परिचय पत्र एवं यात्रा टिकट प्रस्तुत करने पर उप निरी0 पवन कुमार शर्मा द्वारा उक्त मोबाईल को उनके सुपुर्द किया गया।

05. दिनांक 07.10.14 को गाडी सं. 12903 की कोटा से मथुरा की इस्कोर्टिंग के दौरान सुरक्षा पार्टी में तैनात आ0 मनोज सिंह को कोच नं0 ए/2 की शौचालय में एक पर्स मिला जिसमें 7700/–रू नगद, वोटर आईडी, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाईसेन्स, पेन कार्ड, पास पोर्ट, एटीएम कार्ड थे। गाडी में मौजूद निरीक्षक/विखुशा प्रवीण सिंह गहलोत के निर्देशन में टीटीई से पर्स में रखे दस्तावेज के आधार पर जानकारी किया तो बताया कि यात्री राजेश श्रीवास्तव, ए/2 की सीट नं. 17 व 18 पर यात्रा कर रहा है। जिसे सही हालत में पर्स सुपुर्द किया।

06. दिनांक 09.10.14 को गाडी सं. 12925 डाउन का बयाना 06.25 बजे आने पर आरक्षक मनीश कुमार ने साउथ साइड की सील चैक की तथा गाडी समय 06.27 बजे रवाना होते ही चलती गाडी में सामान्य कोच से एक महिला कूदी तभी आरक्षक मनीश कुमार तुरंत मौके पर पहुॅचा तथा जाकर देखा तो उक्त महिला के किसी प्रकार की चोट नहीं आई है। चलती गाडी से कूदने का कारण पूछा तो महिला ने बताया कि तीन व्यक्ति मेरा अपहरण करके मुझे ले जा रहे थे। पूछताछ में उसने अपना नाम अल्पना उम्र–20 वर्श, बताया तथा बताया कि 03 लड़के जिसमे रामखिलाड़ी उम्र–30 वर्ष, को जानती हूॅ तथा अन्य 02 को वह नही जानती है, लेकर गये थे। बाद उसके पिता से सम्पर्क करने पर बताया यह मेरी पुत्री है जो 03 माह से घर से लापता है। इस संबंध में पुलिस थाना रूदावल में अपहरण की रिपोर्ट दर्ज करवा रखी है। इस पर पुलिस थाना रूदावल से सम्पर्क किया तो बताया कि उक्त मामले में प्रकरण दर्ज है। सूचना पर उक्त लड़की के परिजन तथा पुलिस चौकी रूदावल से सउनि कलवाराम आये जिन्हे सुपुर्द किया। इस संबंध में सिविल पुलिस रूदावल द्वारा अ0क्र0 287/2014 धारा 363 भादसं दिनांक 17.07.2014 दर्ज किया गया है।

07. दिनांक 13.10.2014 को प्रधान आरक्षक भोला प्रसाद पांडेय को रेसुब पोस्ट भोपाल स्टेशन पर डियूटी के दौरान एक बालक प्लेटफार्म नंबर 01 पर लावारिस हालत मे घबराया हुआ मिला, प्रधान आरक्षक बालक को पोस्ट पर लेकर आया। पोस्ट पर बालक से पूछताछ करने पर उसने अपना नाम व पता– अनुज राय उम्र 12 साल निवासी विदिशा बताया बालक के परिजनो को सूचना दी गई। परिजनों के उपस्थित होने पर बालक द्वारा पहचानने के बाद बालक अनुज राय को परिजन के ताबे मे सही हालत मे सुपुर्द किया गया।

08. दिनांक 25.10.2014 को वरि.खण्ड अभियंता विद्युत सतना ने मोबाईल फोन पर सूचना दिये कि एक बालिका जिसकी उम्र करीबन 10–12 साल है, डाउन यार्ड मे घूम रही है, सूचना पर उपनिरीक्षक श्री डी.के.पटेल व प्र.आ. श्री संजय सिंह मौके मे पहुॅचकर उक्त बच्ची जिसका एक हॉथ लकवाग्रस्त एवं बात करने मे हकला रही थी, को अपने साथ लेकर आरपीएफ पोस्ट सतना आये। जिसे उपनिरीक्षक श्री डी.के.पटेल द्वारा चाईल्ड लाईन/सतना से सम्पर्क कर बच्ची को सुपुर्द किया गया।

09. दिनांक 29.10.14 को गाडी सं. 11016 कुशीनगर एक्स. के हबीबगंज आगमन पर डियूटी पर तैनात प्रआर जर्नादन यादव ने एक यात्री का मोबाईल चोरी करने वाले को पकड़ा। सूचना पर उपनिरीक्षक धमेन्द्र राजपूत (अंडर ट्रेंनिंग) व प्रआर राम सजीवन परते प्लेटफार्म पर पहुचे जहां पर प्रधान आरक्षक जर्नादन यादव ने एक व्यक्ति (नाम– सलमान खान) को पकडकर खडा था और साथ मे पीड़ित यात्री मिला। पूछताछ करने पर वह व्यक्ति संदिग्ध लगा। जहां पर जीआरपी/चौकी हबीबगंज में यात्री की लिखित फरियाद पर पकड़े गये व्यक्ति के विरुद्ध अपराध क्रमांक 093/14 धारा 379,294,506 आईपीसी के तहत मामला दर्ज कर मामला जांच मे लिया गया। रेसुबल के समक्ष उक्त आरोपी के कब्जे मे एक काले रंग का डबल सिम व कैमरे वाला लावा कंपनी का मोबाईल कीमत 2000 रुपये जप्त किया।

10. इस माह में रेलवे सुरक्षा बल द्वारा अभियान चलाकर धूम्रपान करते हुए पाये जाने पर 378 व्यक्तियों के विरुद्ध rEckd| vf/kfu;e (Prohibition of advertisement and regulation of trade, production, supply and distribution Act, 2003) के तहत कार्यवाही करते हुए उनसे 75,600/–रू. का जुर्माना वसूल किया गया।